

प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं. 120 / 2026)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम 2026 जारी किया

नई दिल्ली 21 सितंबर 2026 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादुविप्रा) ने उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम 2026 जारी किया।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 07.04.2026 को अपनी वेबसाइट पर उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम 2026 का मसौदा परामर्श के लिए जारी किया था। टीसीपीआर (बारहवां संशोधन), 2024 लागू होने के बाद, प्राधिकरण ने देखा कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो सिर्फ़ वॉइस और एसएमएस वाले एसटीवी (स्पेशल टैरिफ़ वाउचर) दे रहे थे, उनमें कुछ कमियां थीं। इनमें ज़्यादातर एसटीवी लंबी अवधि वाले ही थे, जिससे कम आय वाले ग्राहकों को कम समय वाले सस्ते विकल्प नहीं मिल पा रहे थे। इस समस्या को दूर करने के लिए, टीसीपीआर (तेरहवां संशोधन) का मसौदा जारी किया गया।

3. मसौदा संशोधन के प्रत्युत्तर में, हितधारकों से कुल 1132 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। इस परामर्श पत्र पर दिनांक 15.06.2026 को एक ओपन हाउस चर्चा (OHD) भी आयोजित की गई थी।

4. हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादुविप्रा ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 को अंतिम रूप दिया है।

5. इस संशोधन की मुख्य विशेषता, विशेष रूप से वॉयस और एसएमएस के लिए, टैरिफ़ में उपयुक्त रूप से कमी के साथ, सेवा प्रदाता को निम्न एसटीवी ऑफ़र करने होंगे:

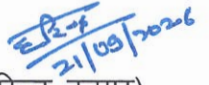
- (i) वॉयस, एसएमएस और डेटा देने वाले हर एसटीवी के अनुरूप वैलिडिटी, चाहे वैल्यू एडेड सर्विस के साथ हो या उसके बिना, जिसका वैलिडिटी पीरियड तीस दिन और तीस दिन से कम हो; और

(ii) प्रत्येक माह की एक ही तारीख को नवीनीकरण की वैधता और यदि इस तरह के नवीनीकरण की तारीख उस महीने में उपलब्ध नहीं है, तो नवीनीकरण की तारीख उस महीने की अंतिम तारीख होगी और;

(iii) वॉयस, एसएमएस और डेटा ऑफ़र करने वाले एसटीवी, चाहे वैल्यू एडेड सर्विस के साथ हों या उसके बिना, की वैलिडिटी अवधि के अनुरूप, कम से कम एक ऐसा एसटीवी जिसकी वैलिडिटी ऊपर (i) और (ii) में बताई गई अवधि से ज़्यादा हो।

6. प्राधिकरण का विचार है कि इस तरह का टैरिफ ढांचा उपभोक्ता आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करेगा। यह संशोधित विनियमन कम आय वाले उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय क्षमता के अनुसार रिचार्ज करने की सुविधा मिलेगी। कुल मिलाकर, यह उन उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों में सुधार करेगा जो डेटा के साथ बंडल किए गए एसटीवी का उपयोग नहीं करना चाहते हैं।

7. यह संशोधन भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री विजय कुमार, सलाहकार (एफ एंड ईए) से दूरभाष नंबर 011-20907773 या ईमेल आईडी: fea1-div@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।


(हरिन्द्र कुमार)
सचिव, भादूविप्रा